

# रोजगार अधिकार और कोविड-19

## कोविड-19 प्रतिबंध मेरे रोजगार को कैसे प्रभावित करते हैं?

6 अगस्त 2020 से, मेलबर्न में कोविड-19 प्रतिबंध का मतलब है कि कई कार्यस्थलों को बंद करना होगा, अगर कर्मचारी घर से काम नहीं कर सकते।

कार्यस्थलों को खुले रहने की अनुमति के बारे में जानकारी [यहाँ](#) उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करना रोजगारदाता की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों का पालन करें।

यदि आपको किसी कार्य स्थल में भाग लेने की आवश्यकता होती है, तो आपके रोजगारदाता को वर्कर परमिट जारी करना होगा, जिसे आपको काम पर जाने के लिए साथ रखना होगा। कार्यकर्ता परमिट के बारे में जानकारी के लिए यहां देखें।

इन प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण दंड हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए जुर्माना शामिल है जो काम पर जाने और बाहर जाने के दौरान अपने वर्क परमिट को नहीं ले जाते हैं।

यदि आपको किसी कार्यकर्ता की अनुमति के बिना काम में भाग लेने के लिए कहा गया है, या यदि आप चिंतित हैं कि आपके काम में भाग लेने की अनुमति नहीं है या सुरक्षित नहीं है, तो आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

यदि आप पर जुर्माना लगाया गया है या कोविड-19 प्रतिबंधों के संबंध में पुलिस के साथ कोई समस्या है, अपने विकल्पों के बारे में जानकारी के लिए हमारी पुलिस पॉवर्स 'कोविड-19 फैक्ट शीट [यहां](#) देखें।

## मैं क्या कर सकता सकती हूँ, यदि मुझे सैल्फ आइसुलैट करना पड़ता है और काम छूट जाता है, लेकिन मेरे पास कोई बीमारी की छुट्टी नहीं है?

यदि आपको कोविड-19 के कारण आत्म-अलगाव (सैल्फ आइसुलैट) की आवश्यकता होती है, और जो आपको कार्य में भाग लेने से रोकेगा, तो आप इसके हकदार हो सकते हैं:

- पेड पैन्डमिक लीव (जो वर्तमान में कुछ पुरस्कारों के तहत उपलब्ध है - विवरण के लिए [यहां](#) देखें)
- \$ 300 कोविड-19 टेस्ट आइसुलेशन पैमन्ट (विवरण के लिए [यहां](#) देखें)
- \$ 1,500 कोविड-19 वर्कर सपौट पैमन्ट (विवरण के लिए [यहां](#) देखें)
- पैन्डमिक लीव डीजास्टर पैमन्ट (विवरण के लिए [यहां](#) देखें)

## क्या मेरा रोजगारदाता मेरे घंटों को कम कर सकता है या मुझे सटैंड डाऊन कर सकता है?

### ट्रू कैजुअल:

यदि आप एक कैजुअल कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से उस जगह काम नहीं कर रहे हो, तो आपका रोजगारदाता आपकी शिफ्टों को बदल सकता है या बिना सूचना के आपको काम देने से मना कर सकता है।

**स्थायी कर्मचारी:** (कुछ दीर्घकालिक कैजुअल कर्मचारी, पार्ट टाइम और फुल टाइम) यदि आप एक स्थायी कर्मचारी हैं (जिसमें कम से कम 6-12 महीने के लिए नियुक्त किए गए कैजुअल कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं), तो आपका रोजगारदाता आपकी सहमति के बिना आपकी शिफ्टों में बदलाव या आपको काम देने से मना नहीं कर सकता है।

आपका रोजगारदाता आपको सटैंड डाऊन या आपके काम के घंटों को कम कर सकता है:

- यदि आपका काम जारी नहीं रखने के कुछ कारक उसके नियंत्रण से बाहर हैं; या
- आपका संगठन जॉबकीपर भुगतानों के लिए अर्हता प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में आपकी आय जॉब कीपर भुगतान से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आप पात्र हैं

जॉबकीपर परिवर्तनों की जानकारी [यहाँ](#) उपलब्ध है

अहमद 1.5 साल से उसी कंपनी में फैक्ट्री हैंड का काम कर रहा है। वह एक कैजुअल कर्मचारी के रूप में काम करता है और उसे छुट्टी का भुगतान नहीं मिलता है, हालांकि वह हर सप्ताह उसी दिन और घंटे काम करता है। उसका रोजगारदाता उसे कोविड-19 का कारण बताता है, वह उसकी शिफ्टों को कम कर रहा है, हालांकि, अहमद जानता है कि कोविड-19 से व्यापार प्रभावित नहीं है, और वह इसे उसके घंटे काटने के बहाने के रूप में उपयोग कर रहा है। यदि अहमद कम शिफ्टों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह बर्खास्तगी के भुगतान या फेयर वर्क कमीशन में झूठे बर्खास्तगी के दावे का हकदार हो सकता है।

सरकार ने घोषणा की है कि जॉब कीपर को 28 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि भुगतान की दरें धीरे-धीरे कम हो जाएंगी। इस बारे में जानकारी [यहाँ](#) उपलब्ध है।

### मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मेरे अधिकार क्या हैं?

यदि आप बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो आपको कई भुगतानों के हकदार हो सकते हो, जिनमें शामिल हैं:

- आपके द्वारा काम किए गए किसी भी ओवरटाइम सहित कोई बकाया वेतन
- यदि आप 7 साल से अधिक समय से एक ही नौकरी में हैं तो लंबी सेवा छुट्टी: [vic.gov.au/long-service-leave](http://vic.gov.au/long-service-leave)
- यदि आप पार्ट टाइम और फुल टाइम कर्मचारी थे, तो कोई भी अर्जित वार्षिक अवकाश और लंबी सेवा अवकाश पात्रता
- न्यूनतम नोटिस की अवधि के लिए आपका भुगतान, यदि आपने बर्खास्त होने से पहले आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं की है
- कोई भी अनावश्यक भुगतान जिसके आप के हकदार हैं



आपकी बर्खास्तगी की परिस्थितियों के आधार पर, स्थायी कर्मचारी भी एक अनुचित बर्खास्तगी का दावा करने के हकदार हो सकते हैं।

आपकी बर्खास्तगी को अनुचित माना जा सकता है यदि:

1. यह कठोर, अनुचित या अनुचित है; तथा
2. यह एक वास्तविक अतिरेक नहीं है।

### महत्वपूर्ण!

यदि आपको लगता है कि आप गलत तरीके से बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो आपको अपने काम के अंत के 21 दिनों के भीतर (आमतौर पर काम का आखिरी दिन) फेयर वर्क कमीशन को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।

## क्या मुझे स्टैंड डाउन पर वार्षिक अवकाश छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

नए अस्थायी नियम कोविड-19 से प्रभावित कुछ रोजगारदाताओं को यह अनुरोध करने की अनुमति देते हैं कि उनके कर्मचारी अपनी वार्षिक अवकाश का उपयोग करें जब तक कि उनके पास कम से कम 2 सप्ताह का बकाया अवकाश हो, या वो उनकी वार्षिक छुट्टी दोगुनी समय के लिए आधे वेतन पर ले लें। जब कोई रोजगारदाता ऐसा कर सकता है, तो इसके लिए सख्त मापदंड हैं।

यदि आपने अपनी नौकरी खो गई है, या आपका वेतन कट गया है, तो आप फेयर वर्क ओम्बड्समैन से सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कानूनी सलाह के लिए नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आप जॉबसीकर भुगतान के भी हकदार हो सकते हैं।

जैस्मिन ने 12 साल तक एक ही कंपनी में ऑफिस मैनेजर के रूप में पूर्णकालिक काम (फुल टाईम) किया है। उसे उसके रोजगारदाता द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 के कारण आय की हानि के कारण उनकी नौकरी तुरंत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने उसकी काम समाप्ति की कोई लिखित सूचना नहीं दी है, जैस्मिन पूर्ण न्यूनतम नोटिस अवधि के साथ-साथ किसी भी अर्जित वार्षिक अवकाश और लंबी सेवा अवकाश के लिए भुगतान की हकदार है। वह बर्खास्तगी भुगतान के लिए भी हकदार हो सकती है।

## मुझे और जानकारी कहां मिल सकती है?

नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर:

[northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info](http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info)

फेयर वर्क ओम्बड्समैन: 13 13 94

[fairwork.gov.au](http://fairwork.gov.au)

जॉबवाच:

[jobwatch.org.au](http://jobwatch.org.au)

जॉबसीकर भुगतान:

[servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment](http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment)

जॉबकीपर भुगतान:

[business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment](http://business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment)

## मुफ्त कानूनी सलाह लें!

नौरदन कम्युनिटी लीगल सेंटर: (03) 9310 4376 / [admin@northernclc.org.au](mailto:admin@northernclc.org.au)

यंग वरकर सेंटर (30 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए): 1800 714 754

जॉबवाच: 9662 1933

विक्टोरिया लीगल ऐड: 1300 792 387

यदि आप एक युनियन संघ के सदस्य हैं, तो अपने संबंधित सदस्य सहायता दल से संपर्क करें।

यह दस्तावेज़ कानूनी सलाह नहीं है। यह जानकारी 6 अगस्त, 2020 तक सटीक है, हालांकि इस अवधि के दौरान चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए आपको इस जानकारी के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए।